



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 09.09.2024

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार -

आज दिनांक 09.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 बकरी चोर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 08.09.2024 को वादी नसरुद्दीन पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम गंगेरु थाना कांधला जनपद शामली ने 02 नामजद चोरों को घर से बकरी चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर तहरीर दी थी। पीडित के तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। बकरी चोरी की घटना में शामिल 01 अन्य चोर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.आलिम पुत्र कुम्मेद निवासी ग्राम गढीदौलत थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री विक्रमभाटी थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 धीरेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 130 ग्राम चरस बरामद:-

आज दिनांक 09.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध कार्यवाही एवं रोकथाम अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से अवैध 130 ग्राम चरस बरामद हुयी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.वासिल पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम बसेडा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 130 ग्राम चरस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री दीपचन्द थाना कैराना जनपद शामली।
- 2.है0का0 आकाशदीप थाना कैराना जनपद शामली।
- 3.है0का0 संजीव थाना कैराना जनपद शामली।
- 4.का0 भानू थाना कैराना जनपद शामली।



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला शाह विलायत में घर में घुसकर जानलेवा हमला कर हत्या करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि दिनांक 23.06.2024 को इन्तजार पुत्र नन्हा निवासी मौहल्ला शाह विलायत थाना थानाभवन जनपद शामली ने अभियुक्तगण द्वारा उसके बहनोई जुल्फकार के घर में घुसकर जुल्फकार एवं उसके परिवारिजन के उपर जानलेवा हमला करने एवं उपचार के दौरान जुल्फकार की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 09.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला शाह विलायत में घर में घुसकर जानलेवा हमला कर हत्या करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1.शमीम 2.साहिल 3.फैसल 4.गुड्डी को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुयी हैं, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता:-

1.जावेद पुत्र कल्लू निवासी मौहल्ला शाहविलायत थाना थानाभवन जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास उपरोक्त अभियुक्त/अभियुक्ता:-

1.मु0अ0सं0 212/2024 धारा 147/148/149/452/307/302 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.है0का0 धर्मेन्द्र थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.का0 आकाश जैनर थाना थानाभवन जनपद शामली।



थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा युवती से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 10.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत युवती से दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनांक 10.08.2024 को थाना गढीपुख्ता पर लिखित तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.श्रीशपाल पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम गन्देवडा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

2.है0का0 दीपक कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

3.का0 मोहित कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 09.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 07.09.2024 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना झिंझाना पर नामजद लिखित तहरीर दी थी। पीडिता की तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. अंकित पुत्र प्रेम नि0 सुभाषनगर कस्बा ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. अनुज पुत्र धर्मसिंह नि0 सुभाषनगर कस्बा ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. है0का0 राजा बेनिवाल थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. का0 सत्यप्रकाश थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना गढीपुख्ता, थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 09.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना गढीपुख्ता, थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. जतिन पुत्र साहब सिंह निवासी ग्राम भैंसवाल थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
2. पवन पुत्र रामफल निवासी ग्राम हिण्ड थाना थानाभवन जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 4000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1. वर्ष 2004 में अभियुक्ता 1.श्रीमती विमलेश उर्फ कमलेश पत्नी महेन्द्र निवासी मौहल्ला गंगारामपुरा थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर 2.संजो पत्नी तेजपाल निवासी उपरोक्त के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 321/2004 धारा 379,411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.09.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5,00-5,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
2. वर्ष 2000 में अभियुक्त प्रदीप पुत्र वेदपाल निवासी किवाना थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 31/2000 धारा 279/338/3041ए भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.09.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय बैठने की अवधि के कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
3. वर्ष 2000 में अभियुक्त मुकर्रम उर्फ मुकरी पुत्र गुलामहसन निवासी अम्बेहटा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 67/472/2000 धारा 3/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.09.2024 को माननीय न्यायालय ACJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त:-

- 1.श्रीमती विमलेश उर्फ कमलेश पत्नी महेन्द्र निवासी मौहल्ला गंगारामपुरा थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2.श्रीमती संजो पत्नी तेजपाल निवासी मौहल्ला गंगारामपुरा थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर।
- 3.प्रदीप पुत्र वेदपाल निवासी किवाना थाना कांधला जनपद शामली।
- 4.मुकर्रम उर्फ मुकरी पुत्र गुलामहसन निवासी अम्बेहटा थाना झिंझाना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI